




# फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड-मजिस्ट्रेट, कोटपुतली  
सरकार बनाम पवन  
 क्रमा संख्या/वर्ष इस्तगासा 133 अठ फॉर 20 12/2018

क्रमा संख्या/वर्ष	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>                     विलेन एक पक्षीय बर्खास्तगी की जाती है।                      हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रस्तुत इस्तगासा के अंकित तथ्यों के हवा पर ए.0 का एपारलिया कोटपुतली को निर्देश दिया जाते हैं कि वह प्रशासन और मजिस्ट्रेट के निर्देशों को और ध्यान से भी गोसापल के अति-ब्रह्मण जाया जावे, तो उसके मुकाम पर है दृष्टाया जाकर इस न्यायालय के प्रपालन एपारलिया प्रस्तुत करें। तथा गोसापल के माविष्य में अतिब्रह्मण नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावे। तदनुसार पालनाई तद्वीर जापी हो। फलवली फंसल कुमार को दंड नम्बर 1 वरत है, तथा एक बर्खास्तगी दामोदर दफ्त हो।                 </p>	

  
 उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
 कोटपुतली (जयपुर)